संख्या-83/2020/2072/सैंतीस-2-2020-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 अक्टूबर, 2020

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-213/पशुधन-2/22/1/4/2020-21, दिनांक-07.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-715.00 लाख (रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
18-प्रकाशन	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15.00
39-औषधि तथा रसायन	160.00
42-अन्य व्यय	20.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	**715.00**

(रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाये, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाये अपितु आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जाये।
9. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-822/दस-2020, दिनांक-14.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-83/2020/2072(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-83/2020/2072/सैंतीस-2-2020-1(72)/03टीसी, दिनांक-20 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2020-21) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.1330	0.1330	0.1995	2.7000	0.2660	10.3080	13.7395
2	बागपत	0.1330	0.1330	0.1995	5.6160	0.2660	1.5070	7.8545
3	गाजियाबाद	0.1330	0.1330	0.1995	1.1230	0.2660	8.5680	10.4225
4	गौतमबुद्धनगर	0.1330	0.1330	0.1995	2.2470	0.2660	6.5560	9.5345
5	बुलन्दशहर	0.1330	0.1330	0.1995	3.3700	0.2660	10.7050	14.8065
6	सहारनपुर	0.2660	0.2660	0.3990	2.5900	0.5320	8.2270	12.2800
7	मुजफ्फरनगर	0.1330	0.1330	0.1995	3.2000	0.2660	8.6230	12.5545
8	शामली	0.1330	0.1330	0.1995	2.4000	0.2660	6.0460	9.1775
9	मुरादाबाद	0.1330	0.1330	0.1995	2.8000	0.2660	7.5330	11.0645
10	अमरोहा	0.1330	0.1330	0.1995	1.9970	0.2660	5.3440	8.0725
11	रामपुर	0.1580	0.1580	0.2370	1.4040	0.2660	11.7630	13.9860
12	बिजनौर	0.1330	0.1330	0.1995	3.7120	0.2660	6.6410	11.0845
13	सम्भल	0.1330	0.1330	0.1995	2.4000	0.2660	5.5510	8.6825
14	बरेली	0.1330	0.1330	0.1995	2.0590	0.3160	11.5420	14.3825
15	बदायूं	0.1330	0.1330	0.1995	2.2150	0.2660	7.0380	9.9845
16	शाहजहांपुर	0.1330	0.1330	0.1995	1.8720	0.2660	5.9470	8.5505
17	पीलीभीत	0.1330	0.1330	0.1995	1.4040	0.2660	4.4600	6.5955
18	अयोध्या	0.1330	0.1330	0.1995	1.3730	0.2660	4.3610	6.4655
19	अम्बेडकर नगर	0.1330	0.1330	0.1995	1.2790	0.2660	4.0640	6.0745
20	सुल्तानपुर	0.1330	0.1330	0.1995	2.4650	0.2660	7.8300	11.0265
21	बाराबंकी	0.1330	0.1330	0.1995	3.4630	0.2660	11.0020	15.1965
22	अमेठी	0.1330	0.1330	0.1995	2.5580	0.2660	8.1280	11.4175
23	गोण्डा	0.1330	0.1330	0.1995	2.1220	0.2660	6.7400	9.5935
24	बलरामपुर	0.1330	0.1330	0.1995	1.1860	0.2660	2.2370	4.1545
25	बहराइच	0.1330	0.1330	0.1995	2.0280	0.2660	6.4430	9.2025
26	श्रावस्ती	0.1330	0.1330	0.1995	0.4990	0.2660	1.5860	2.8165
27	बस्ती	0.1330	0.1330	0.1995	1.9970	0.2660	6.3440	9.0725
28	संतकबीर नगर	0.1330	0.1330	0.1995	1.1540	0.2660	3.6670	5.5525
29	सिद्धार्थ नगर	0.1330	0.1330	0.1995	1.9030	0.2660	4.9000	7.5345
30	गोरखपुर	0.1330	0.1330	0.1995	3.2760	0.2660	7.3170	11.3245
31	महराजगंज	0.1330	0.1330	0.1995	1.7780	0.2660	9.1500	11.6595
32	देवरिया	0.1330	0.1330	0.1995	1.9970	0.2660	6.3440	9.0725
33	कुशीनगर	0.1330	0.1330	0.1995	1.9970	0.2660	6.3440	9.0725
34	प्रयागराज	0.1330	0.1330	0.1995	4.6800	0.2660	21.7370	27.1485

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35	कौशाम्बी	0.1330	0.1330	0.1995	1.2170	0.2660	3.8660	5.8145
36	फतेहपुर	0.1330	0.1330	0.1995	2.7140	0.2660	8.6230	12.0685
37	प्रतापगढ	0.1330	0.1330	0.1995	3.1510	0.2660	7.5000	11.3825
38	झांसी	0.1330	0.1330	0.1995	1.2790	0.2660	4.0640	6.0745
39	ललितपुर	0.1330	0.1330	0.1995	1.5910	0.2660	5.0550	7.3775
40	जालौन	0.1330	0.1330	0.1995	1.9030	0.2660	1.9000	4.5345
41	बांदा	0.1330	0.1330	0.1995	1.3420	0.2660	4.2620	6.3355
42	चित्रकूट	0.1330	0.1330	0.1995	0.9050	0.2660	0.5000	2.1365
43	हमीरपुर	0.1330	0.1330	0.1995	1.3730	0.2660	9.6240	11.7285
44	महोबा	0.1330	0.1330	0.1995	0.8420	0.2660	2.6760	4.2495
45	लखनऊ	0.1330	0.1330	0.1995	2.4340	0.2660	6.2000	9.3655
46	उन्नाव	0.1330	0.1330	0.1995	3.0890	0.2660	9.8130	13.6335
47	रायबरेली	0.1330	0.1330	0.1995	2.4020	0.2660	7.6320	10.7655
48	हरदोई	0.2660	0.2660	0.3990	3.3070	0.5320	10.5070	15.2770
49	सीतापुर	0.1330	0.1330	0.1995	2.4650	0.2660	7.8300	11.0265
50	खीरी	0.1330	0.1330	0.1995	2.3090	0.2660	7.3350	10.3755
51	आजमगढ	0.1330	0.1330	0.1995	3.4940	0.2660	11.1010	15.3265
52	मऊ	0.1330	0.1330	0.1995	1.8410	0.2660	0.9000	3.4725
53	बलिया	0.1330	0.1330	0.1995	3.1820	0.2660	10.1100	14.0235
54	वाराणसी	0.1330	0.1330	0.1995	1.0610	0.2660	2.5000	4.2925
55	जौनपुर	0.1330	0.1330	0.1995	2.5270	0.2660	8.0290	11.2875
56	चन्दौली	0.1330	0.1330	0.1995	1.2170	0.2660	3.8660	5.8145
57	मिर्जापुर	0.1330	0.1330	0.1995	1.7470	0.2660	5.5510	8.0295
58	सोनभद्र	0.1330	0.1330	0.1995	1.2480	0.2660	3.9650	5.9445
59	संतरविदास नगर	0.1330	0.1330	0.1995	0.6550	0.2660	2.0820	3.4685
60	कानपुर नगर	0.1330	0.1330	0.1995	3.4940	0.2660	11.0000	15.2255
61	कानपुर देहात	0.1330	0.1330	0.1995	2.6830	0.2660	10.5240	13.9385
62	फर्रूखाबाद	0.1330	0.1330	0.1995	1.6540	0.2660	10.2530	12.6385
63	इटावा	0.1330	0.1330	0.1995	1.9030	0.2660	6.0460	8.6805
64	कन्नौज	0.1330	0.1330	0.1995	1.0920	0.2660	8.9610	10.7845
65	औरैया	0.1330	0.1330	0.1995	1.2790	0.2660	2.5240	4.5345
66	आगरा	0.1330	0.1330	0.1995	2.3710	0.2660	12.0330	15.1355
67	मथुरा	0.1330	0.1330	0.1995	2.3710	0.2660	7.5330	10.6355
68	मैनपुरी	0.1330	0.1330	0.1995	2.4020	0.2660	4.9000	8.0335
69	फिरोजाबाद	0.1330	0.1330	0.1995	2.6500	0.2660	7.9130	11.2945
70	एटा	0.2660	0.2660	0.3990	2.2780	0.5320	7.2340	10.9750
71	अलीगढ	0.1330	0.1330	0.1995	5.5220	0.2660	12.5380	18.7915
72	हाथरस	0.1330	0.1330	0.1995	2.1420	0.2660	8.4970	11.3705
योग-		**10.0000**	**10.0000**	**15.0000**	**160.0000**	**20.0000**	**500.0000**	**715.0000**

(रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in